मनीषा पंवार
सचिव

विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : / 1042 /नि0का0–दै0आ0/2013–14 दिनांक 23 अगस्त, 2013

विषय : **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यों के अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग हेतु नोडल एजेन्सी नामित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासन के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 5336/एस0एस0ए0/2012 दिनांक 13 जनवरी, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा वृहद मरम्मत के आगणन प्रतिहस्ताक्षरित करने व निष्प्रयोज्य प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु राजकीय निर्माण विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता को नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया था।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में धनराशि की स्वीकृति की जाती है। वर्तमान में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के लिए पुर्ननिर्माण एवं वृहद मरम्मत हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 1253.26 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होगी। इस हेतु दिनांक 16 अगस्त, 2013 की बैठक (कार्यवृत्त संलग्न) में निर्णय लिया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्य जिसमें दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुर्ननिर्माण एवं वृहद मरम्मत कार्य भी सम्मिलित है, के अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को नोडल एजेन्सी नामित कर लिया जाये। तद्नुसार नोडल एजेंसी के अभियन्ताओं द्वारा आंगणनों के प्रतिहस्ताक्षर एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ सम्पादित की जायें। साथ ही जिन जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान के सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता कार्यरत नहीं है, उन जनपदों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अभियन्ताओं से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर लिया जाये।

उक्त के क्रम में सर्व शिक्षा अभियान के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तरीय अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग व सम्बन्धित जिला परियोजना अधिकारी प्रकोष्ठ के सदस्य नामित किये गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यों के अनुश्रवण तकनीकी सहयोग, निष्प्रयोज्य प्रमाण–पत्र निर्गत करने एवं वृहद मरम्मत आंगणन के प्रतिहस्ताक्षर व तकनीकी स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को नोडल एजेन्सी नामित किया जाता है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सम्बन्धित विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन।

पृ0सं0 : / 1042 / पुर्ननिर्माण (08) / 2013–14 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, तपोवन रोड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान।

(मनीषा पंवार)
सचिव,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन।